नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/1133 दिनांक 29/10/2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा अभियान 2025 के अन्तर्गत कैम्प बलून्दा में प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित तैयार कर प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2517/1400 रकबा 0.4238 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	दीनाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. आसरलाई खातेदार	2517/1400	0.1412	बारानी अव्वल	0.08
2.	बालुराम पुत्र गोपाराम हिस्सा 1/2, रूपाराम पुत्र गोपाराम हिस्सा 1/2 जातियान गुर्जर सा. देह खातेदार	2517/1400/1	0.2826	बारानी अव्वल	0.18

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मनोज कुमार मीणा RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 04/12/2025 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)
(मनोज कुमार मीणा RAS)
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

1. दीनाराम पुत्र सुखाराम जाति- जाट, निवासी- आसरलाई, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।

1. बालुराम पुत्र गोपाराम
2. रूपाराम पुत्र गोपाराम जातियान-गुर्जर, निवासीगण-बलुन्दा, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।
3. तहसीलदार जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा०स० : 01/2024

निर्णय व डिक्री दिनांक :- 04/12/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2517/1400 रकबा 0.4238 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैंः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	दीनाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. आसरलाई खातेदार	2517/ 1400	0.1412	बारानी अव्वल	0.08
2.	बालुराम पुत्र गोपाराम हिस्सा 1/2, रूपाराम पुत्र गोपाराम हिस्सा 1/2 जातियान गुर्जर सा. देह खातेदार	2517/ 1400/1	0.2826	बारानी अव्वल	0.18

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/12/2025 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः-	08-00	मिजानः-	Nil

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावें ।

(मनोज कुमार मीणा RAS)
सहायक कलेक्टर (ब्यावर)